

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

### आदेश

प्राथी के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की अनुसरण में पटवार हल्का सिंदपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 25 AMP की जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या एवं जमाबन्दी सम्बन्ध	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सिंदपुरा	25 AMP 58/51 2073-2076	3. सुन्दर पुत्र काशीराम	3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम

नोट :- शेष प्रविष्टि/यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन है तो यथावत रहेगा।

(रमेश देव)

प्रशासक उपखण्ड अधिकारी संगरिया (SDO)  
दिनांक 16/05/2023

क्रमांक :- सम/20

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्राथी सुरेन्द्र कुमार S/o श्री काशीराम सिंदपुरा
3. आदेश पत्रावली।



प्रशासक उपखण्ड अधिकारी संगरिया (SDO)  
शांकर स्थल 16/05/2023